Email: purchase.cswri@icar.gov.in दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

**F.No.** 6(337)SP/2014/Vol.I/ **Dated 02-03-2022**

**NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT**

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Job Contract work for internal security, Clening,maintenance and catering work of Kishan Hostel** at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.**Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

**CRITICAL DATE SHEET**

| | |
|---|---|
| Tender No. | 6(337)SP/2014/Vol.I/ |
| Date and Time for issue/Publishing | 2-03-2022 at 5.00 PM |
| Document Download/Start date and time | 03-03-2022at 3.00 PM |
| Bid Submission Start Date and Time | 03-03-2022at 3.00 PM |
| Bid Submission End Date and Time | 23-03-2022at 3.00 PM |
| Date and Time for Opening of Bids | 24-03-2022at 3.00 PM |
| Tender fee and Earnest money<br>Security money | Tender fee –Rs.1000/- EMD- 5000/-<br>Performance Security money-3% of value of the contract |
| Bank detail | ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India<br>Branch – Malpura Tonk Rajasthan |
| Address for Communication | Asstt. Administrative Officer (Store & purchase), C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 |

# Chapter I- Instruction to bidders

1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**

2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders. The complete bidding process in online. Bidders should be possession of valid digital Signature Certificate (DSC) of class II or III for online submission of bids. Prior to bidding DSC need to be registered on the website mentioned above. For any assistance for e-bidding process, if required bidder may contact to the helpdesk at 01437-220177.

4- **Tenderer/Contractor/Bidders are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions tothe Contractors/Tenderer/Bidders for the e-submission of the bids online through the CentralPublic Procurement Portal for e-procurement at** https://eprocure.gov.in/eprocure/app**.**

5- Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing sizeof the scanned document.

6- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.1000/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft/NEFT/RTGS prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Assistant Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

7- The Hard Copy of original document in respect of cost of tender document etc. must be delivered to the ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission as mentioned above. The bid without tender fee will be summarily rejected.

8- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the Assistant **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**

9- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

11. **Technical Bid**: The following scanned documents are to be furnished by the bidders along with Technical Bid as per the tender document:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scaned copy of Last Two year continuous experience or more of the firm in the relevant field of providing such services in Central Govt. establishments/Autonomous bodies of Govt. of India/ Corporations of Govt. of India/reputed public or private organizations.
3. Scanned copy of Pan card
4. Scanned copy of GST registration. If not applicable an under taking in this regard should be given on 100/- rupees stamp paper duly attasted by Notery Public.
5. Scanned copy of ESI and EPF Registration
6. Scanned copy of D.D./NEFT/RTGS acnolegment slip and transaction slip of Tender Fee & EMD .
7. Scanned copy of Acceptance letter(as per Annexure-I)
8. Scanned copy non blacklisting certificate (as per Annexure-II)

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 8 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Assistant Administrative Officer

**संस्थान के तकनीकी स्थानान्तरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग के अधीन किसान घर (किसान हॉस्टल) की सुरक्षासाफ–सफाई व हाउसकीपिंग से सम्बन्धि कार्य को वार्षिक अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने की नियम व शर्तेः–**

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष के लिए होगी, लेकिन सक्षम अधिकारी महोदय के अनुमोदन एवं फर्म के कार्य की कार्य संतोषजनक टिप्पणी उपरान्त कार्य की अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्धनिश्चित समय अवधि से पूर्व जमानत राशि जब्त कर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ताकी होगी।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी।निविदा जो भारत सरकार द्वारानिर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगी उसे निरस्त समक्षा जावेगा। साथ ही पेटी ठेका मान्य नहीं होगा।
3. अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसान हॉस्टल में सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दरों पर अल्पाहार, भोजन व अन्यसामग्री उपलब्ध करानी होगी।

**किसान हॉस्टल के मैस को संचालित करने की नियम व शर्ते –**

4. अनुबन्धकर्ता को प्रभारी, किसान हॉस्टल/प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार कार्य करना होगा तथा कार्य समय पर नहीं करने वनिर्देशों की पालना नहीं करने अथवा आवश्यकता अनुसार कार्मिक उपलब्ध नहीं कराने पर उनके दये बिल से पारिश्रमिकनियमों के अनुसार प्रतिदिवस के हिसाब से दण्ड स्वरूप आवश्यक कटौती की जावेगी।
5. अनुबन्धकर्ता के पास स्वयं/फर्म के नाम से राज्य सरकार के नियमों के अनुसार खाद्य सामग्री रखने, तैयार करने व विक्रयकरने का खाद्य–अनुज्ञा–पत्र (फूड लाइसेंस) होना चाहिये। यदि निविदा/कोटेशन भरते समय निविदादाता के पास खाद्य अनुज्ञा–पत्र (फूड लाइसेंस) नहीं हो तो कोटेशन स्वीकृत होने के एक माह के भीतर–भीतर उसे राज्य सरकार के अधिकृत नियमानुसारखाद्य–अनुज्ञा पत्र (फूड लाइसेस) अपन` स्तर पर प्राप्त करके कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
6. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि सभी प्रकार की खाद्य सामग्री बनाने में निपुण होना चाहिए तथा उसे सरकारी/गैर सरकारी संस्थान मेंइस कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
7. अनुबन्धकर्ता को किसान हॉस्टल के रसोई घर व भोजनकक्ष के साथ भण्डार गृह में खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ (नशे वाले पेयको छोडकर) रखने, पकाने, तैयार करने, आपूर्ति करने के लिये आज्ञा दी जावेगी। उक्त सामानों को रखने, पकाने, तैयारकरने, परोसने, आदि का कार्य की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा की जावेगी।
8. किसान घर की साफ–सफाई (13 कमरें,डायनिंग हॉल, लेट बाथ,किचन गेलेरी,एवं व्याख्यान कक्ष )की जिम्मेदारी संस्थान की न होकर स्वंय अनुबंधकर्ता की होगी।
9. किसान हॉस्टल चलाने का अनुज्ञा–पत्र कार्यादेश जारी तिथि से एक वर्ष के लिये होगा, जिसे किसान हॉस्टल चलाने हेतु अनुबन्धकर्ता के तरीके, व्यवहार, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, साफ–सफाई आदि के सन्तोषजनक पाये जाने पर आपसी सहमतिसे एक वर्ष के लिये बढाया जा सकता हैं।
10. यदि अनुबन्ध के दौरान अनुबन्धकर्ता की कार्यशैली, व्यवहार, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, साफ–सफाई आदि संतोषजनक नहीपाई जाती है तो अनुबन्ध को समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकता हैं या दो सप्ताह का नोटिस देकर समाप्त/रद्द कियाजा सकता हैं।
11. किसान हॉस्टल में आपूर्ति किये जाने वाला सामान उच्च गुणवत्ता या प्रभारी, किसान हॉस्टल द्वारा सुझाई गई/निर्धारित कीगई गुणवत्ता वाला होगा। प्रभारी, किसान हॉस्टल, सक्षम अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि किसी भी समय हॉस्टल में आकरखाद्य/पेय सामग्री का निरीक्षण कर सकते हैं एवं उनके द्वारा हॉस्टल में प्रयोग/आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ताका स्तर सुधारने के लिये लियागया निर्णय अननुबन्धकर्ता को मान्य होगा। साथ ही राज्य सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों कोभी खाद्य सामग्री का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. अनुबन्धकर्ता को डायनिंगहाल व रसोई के लिये पर्याप्त मात्रा में रसोइये कर्मचारी लगाने होंगें। अनुबन्धकर्ता की यह जिम्मेदारीहोगी कि ड्यूटी पर उपस्थित रसोइये/सेवक आदि किसी संक्रामक रोग से पीड़ित नही हो, निर्धारित यूनीफार्म (एप्रेन) में हो तथा कर्मचारियों/ अधिकारियों मेहमानों आदि से बातचीत/व्यवहार मे विनम्रता, ईमानदारी, संयमी एवं शिष्ट हो। अनुबन्धकर्ताअथवा उसके कर्मचारियो ं द्वारा किसी प्रकार की अवज्ञा/अवहेलना करने की स्थिति में अनुज्ञा–पत्र को निरस्त किया जासकता हैं।
13. अनुबन्धकर्ता को किसान हॉस्टल में आने वाले प्रशिक्षणार्थियों/मेहमानों को आवश्यकतानुसार निर्धारित समय पर चाय, नास्ता,दोपहर व रात्रि के भोजन की व्यवस्था करनी होगी तथा उनके द्वारा बिल मांगने पर प्रिन्टेड बिल प्रस्तुत करना होगा।
14. अनुबन्धकर्ता को हॉस्टल काउन्टर पर शिकायत/सुझाव पुस्तिका रखनी होगी जिसमें संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी/मेहमानआदि शिकायत/सुझाव लिख सकेगें तथा इस पुस्तिका का प्रभारी, किसान हॉस्टल द्वारा समय–2 पर अवलोकन कियाजावेगा।
15. अनुबन्धकर्ता द्वारा हॉस्टल के अन्दर (रसोई, भण्डार गृह व भोजनकक्ष में) हर समय सफाई का पूरा ध्यान रखेगा एवं राजस्थानसरकार (स्वास्थ्य विभाग) के मानको को पूरा करेगा। प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 9–00 बजे एवं दोपहर बाद 2–30 बजेहॉस्टल में स्वयं के स्तर पर झाडू/पौचा लगवाकर सफाई करवानी होगी तथा उस समय किसान हॉस्टल को बन्द रखे बिनाअनुबन्धकर्ता को सफाई करवानी होगी। सफाई की व्यवस्था ठीक नही रखनें एवं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान नही देनेपर अनुबन्ध को दो सप्ताह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता हैं। इस सम्बन्ध में सस्थान के निदेशक महोदय कानिर्णय अन्तिम माना जावेगा।

16. किसान हॉस्टल के अन्दर खाद्य/पेय सामग्री बनाने/तैयार करने के लिये हीटर व लकड़ी के ईंधन का इस्तेमाल करने कीपूर्ण पाबन्दी रहेगी। अनुबन्धकर्ता को एल.पी.जी. गैस कनेक्शन संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा तथा सिलेण्डर कोभरवाने व इसका भुगतान (को–ओपरेटिव स्टोर, अविकानगर के मापदण्डों के अनुसार जो भी राशि हो) करने की व्यवस्था स्वयंअनुबन्धकर्ता की होगी। यह कनेक्शन केवल हॉस्टल कार्य के लिये ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही आवश्यक सुरक्षामापदंडों का पालन करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। सिलेण्डरों को नियमानुसार संस्थान के को–ओपरेटिवस्टोर से भराने की सुविधा प्रदान जावेगी, परन्तु सिलेण्डरों को भरवाने की व्यवस्था स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। गैसचूल्हा/भट्टी की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी।
17. किसान हॉस्टल के अन्दर बिजली के बल्व/ट्यूबलाईटे आदि के खराब होने पर इन्हे बदलवाने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता कीहोगी। बिजली की फिटिंग, बल्व, ट्यूबलाईटे, पंखे आदि संस्थान की सम्पति होगी।
18. किसान हॉस्टल के अन्दर खाद्य सामग्री बनाने हेतु प्रयोग आने वाले बडे बर्तनों की व्यवस्था स्वयं अनुबन्धकर्ता को करनीहोगी। खाद्य/पेय सामग्री रखने/बनाने आदि के लिये साफ बर्तनों का प्रयोग करना होगा। अनुबन्धकर्ता को खाद्य/पेय सामग्री परोसने के बर्तनों को एक बार प्रयोग में आने के बाद वीम पाउडर से साफ करके गर्म पानी से धुलाने की व्यवस्थारोजाना अनुबन्धकर्ता को करनी होगी। अनुबन्धकर्ता को खाना परोसने के काम आने वाले बर्तन जैसे स्टील प्लेट, कटोरी,चम्मच, गिलास, डोगें, जग आदि संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये जावेगें तथा इनकी साफ–सफाई व देखभाल की समस्तजिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। अनुबन्धकर्ता की लापरवाही से संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया सामान चोरी होता है याटूटता है तो उसका हर्जाना वसूला जावेगा अथवा उनके देय बिल से इस राशि की कटौती की जावेगी।
19. खाद्य/पेय सामग्री की दरों में संशोधन के प्रस्ताव पर एक वर्ष से पूर्व कोई भी विचार नहीं किया जावेगा। एक वर्ष के बाददरों में संशोधन के प्रस्ताव पर अनुबन्धकर्ता की कार्य कुशलता, बाजार में प्रचलित दरों, सामग्री की गुणवत्ता एवं अन्य बातोंको ध्यान में रखते हुये प्रभारी, किसान हॉस्टल की सिफारिश के आधार पर विचार किया जा सकता हैं।

20. अनुबन्धकर्ता को किसान हॉस्टल में कार्य आरम्भ करने से पूर्व जो भी स्थाई/अस्थाई सामान जिस अवस्था में उपलब्धकरवाया जावेगा अथवा हॉस्टल में उपलब्ध होगा वह सामान अनुबन्ध समाप्ति पर उसी अवस्था में प्रभारी, किसान हॉस्टल कोसंभला कर हॉस्टल छोड़ना होगा। यदि सामान गुम/चौरी हो जाता है या टूट–फूट हो जाती है उसका हर्जाना अनुबन्धकर्ताद्वारा वसूल किया जावेगा।

**किसान हॉस्टल का रख–रखाव, आन्तरिक सुरक्षा तथा हाऊस कीपिंग के कार्य की नियम व शर्ते –**

21. अनुबन्ध की अवधि में किसान हॉस्टल की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा, साफ–सफाई, फर्नीचर, डबलबेड, व अन्य सामान कोसुव्यवस्थित ढ़ंग से रखना, बेड के तकिये, कम्बल, कवर आदि को आवश्यकतानुसार बदलना व कमरों की साफ–सफाई एवंअन्य हाऊस कीपिंग कार्य करने के साथ–साथ आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जाने वाले सामानों को सभी कमरों में उचितरूप से रखना एवं स्टोर के रख–रखाव का विशेष ध्यान रखना होगा।
22. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में किसान हॉस्टल में स्थापित सभी स्थाई/अस्थाई सम्पति की सुरक्षा करनी होगी। साथही अनुबन्ध की अवधि में हॉस्टल का कोई सामान चोरी होता है अथवा संस्थान की सम्पति का नुकसान होता है तो उसकीभरपाई अनुबन्धकर्ता से की जावेगी।
23. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि के दौरान हॉस्टल भवन, फर्नीचर आदि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जावेगें जिसकीदेखभाल व उचित रख–रखाव की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
24. अनुबन्धकर्ता को किसान हॉस्टल के परिसर में स्थित पेड़–पौधों, लॉन इत्यादि की सुरक्षा, देखभाल ाभाल एवं रख–रखाव करनाहोगा।
25. हॉस्टल में अनुबन्धकर्ता को किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा बदलाव आदि की अनुमति नही दी जावेगी। यदि किसीप्रकार निर्माण/बदलाव आवश्यक हुआ तो अनुबन्धकर्ता को सक्षम अधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।यदि बिना अनुमति के निर्माण/बदलाव किया गया तो अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा साथ ही जमाजमानत राशि भी जब्त करली जावेगी। संस्थान की सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाने पर हर्जाना राशि की कटोतीजमानत राशि/मासिक बिल मे से की जा सकती हैं। अनुबन्ध की शर्तो को पूरा नही करने पर या कार्य सन्तोषजनक नहीपाये जाने पर अनुबन्ध रद्द करने की स्थिति मे जमा जमानत राशि जब्त करली जावेगी।
26. अनुबन्धकर्ता को प्रभारी, किसान हॉस्टल/प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
27. अनुबन्ध की अवधि में किसी श्रमिक को लगाया या हटाया जाता है तो उसकी पूर्ण जानकारी या सूचना प्रभारी किसान हॉस्टल को देनी होगी।
28. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगा तथा लगाये गयेश्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा।संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण अनुबन्धकर्तास्वयं अपने स्तर पर करेगा।
29. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार अनुबन्धकर्ता के देय मासिक बिल में सेनियमानुसार सेवाकर/आयकर (Service Tax/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती कीजावेगी।
30. अनुबन्ध की अवधि में आवश्यकतानुसार पत्र/डाक आदि कार्यालय मे पहुँचाने की व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।

31. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो अनुबन्धकर्ता द्वाराप्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानतराशि जब्त करली जावेगी।
32. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूलीस्वयं अनुबन्धकर्ता को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत वजमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
33. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह अनुबन्धकर्ता द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने परनिश्चित समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।
34. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारान्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने कीजिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने परमाननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। साथही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
35. अनुबन्धकर्ता द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयंबनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर तकनीकी स्थानान्तरण एवं सामाजिकविज्ञान विभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं अनुबन्धकर्ता को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटोपहचान–पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
36. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने परप्रस्तुत करना होगा।
37. सभी विवादों कोनिपटाने का क्षैत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिमनिर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक,राजस्थान को होगा। जिसे अनुबन्धकर्ता द्वारा मान्य होगा।
38. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसकेउपरान्त अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
39. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्णअधिकार सुरक्षित है।
40. सफल अनुबन्धकर्ता को 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्टदेना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
41. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करनेका पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
42. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in एवं www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी(क्रय एवं भण्डार)

## Chapter III- General Terms & Conditions

1. Tenderers are advised to go through all the points mentioned in the terms and conditions of tender carefully before submitting the tender document. Incomplete/unsigned/conditional tenders will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard.
2. Before submission of the tender, the tenderer/contractor may inspect/visit the Kisan Hostel area site and get acquainted himself with reference to conditions and to nature of work required to be performed/executed at this Institute to avoid any ambiguity or confusion.
3. The contract will be awarded to the least responsive bidder based on the rates quoted by the firm. In case, the institute finds that the rates quoted by the tenderer is not sufficient to cover the cost of engaging minimum number of personnel at minimum wages along with other statutory requirement as specified by Govt. of India for Agricultural Sector in guest house maintenance such bids will be financially non responsive and will be summarily rejected. In case of two or more tenderers quote same rates the tenderer having higher experience in relevant work will be given preference.
4. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason.
5. If successful tenderer does not accept the offer within 15 days, after issuance letter of award the offer will stand withdrawn & earnest money will be forfeited, and no correspondence will be entertained in this regard.
6. The successful firm will have to sign an agreement (format will be provided by the institute with offer) on nonjudicial stamp paper of appropriate value not less than Rs. 500/- along with the Security Deposit @3% of contract value in form of Account Payee Demand Draft/banker’s Cheque or FDR/TDR in favour of ICAR Unit CSWRI, Avikanagar within 15 days after issue of letter of award. It is clarified that no interest on security deposit shall be payable and security deposit money will be refundable only after the expiry/ termination of the contract period and adjusting the dues and /or forfeiture if any.
7. The contract will be awarded initially for a period of one year and thereafter will be extendable up to one more year, subject to the satisfactory performance, on the same terms & conditions.
8. The firm will be disqualified and black listed and security deposit forfeited, if it is found that they sublet the contract, wholly or partially, during the period of the contract. A register for complaint /surprise/routine checks shall be maintained by the contractor which may also be inspected by authority of institute.
9. All the deployed workers must be in sound health, between 18-60 years of age. The firm should submit police verification/ fitness certificate for each deployed worker and issue them an identity card as well as appropriate uniform at the cost of contractor.
10. It will be the responsibility of the firm to look after the health and welfare of the personnel deployed as per the statutory requirements and rules. Such records would be maintained in registers and should be produced as and when demanded by the Institute.
11. The contractor shall maintain a register of complaint/work and duties performed which shall be verified by the institute.
12. PENALTY CLAUSE: Any loss/damage occurred by the Firm/Firm to the Institute property during the transaction/currency of the contract, the clause liquidated damages for Rs.500/- per day shall be imposed, if the Firm fails to replace/rectify the damage/loss within a week. In case of any of the above contingencies, the First Party shall have the right to terminate this agreement forthwith without notice and recover aforesaid amount for security deposit and shall not be liable to any damages and/ or loss, which may be suffered by the agency on account of termination of this agreement. The same shall be without any financial implication on part of the First Party. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
13. If the contractor does not discharge his duties up to the satisfaction of I/c Kisan Hostel Avikanagar the contract will be terminated before expiry period and the security money will be forfeited.
14. In case any problem arises on account of non-compliance of any statutory Law, the sole responsibility will be on the concerned firm. The Institute will not be responsible for any liability in this regard.
15. If any loss is incurred to the institute due to negligence or malafied intentions of the firm or any of its employees, the firm will make good the losses incurred to institute. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
16. The firm must abide by all the Labour Laws in vogue for which the responsibility will solely be lying on the concerned firm. The payment to labourers engaged by the firm must be as per minimum wages prescribed by the Govt. of India for Agricultural Sector through the bank transfer, on or before 10th day of following month. The details of the payment are to be submitted to the office for processing the bill.

17. The labourers engaged by the firm will have no claim for any regular employment in the Institute/ICAR at any point of time, as this arrangement is purely on the contractual basis between the Institute and the firm.
18. In case of any accident/loss of life of the worker during discharging duties, all the liabilities/ compensation shall be borne by the firm and ICAR-CSWRI, Avikanagar shall not have responsibility in this regard.
19. The firm must submit proof of depositing the EPF and ESIC contributions along with the name and account numbers of the deployed labour and Challan of the deposited GST for the billing period (if applicable).
20. The bill in triplicate for work carried out in billing period is to be submitted in the Office for claiming the monthly payment through a Coordinator appointed by the Institute. No part payment request would be entertained.
21. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to review the performance whenever felt necessary also to terminate the contract at any point of time during the tenure of contract in case the performance and service rendered by firm are found to be unsatisfactory, without giving any prior notice. The decision of Director, ICARCSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.
22. Contract can also be terminated at any point of time if the above mentioned work is no more required. Contract cannot be terminated by contractor firm before expiry of the contract period. Violation would invite forfeiture of security deposit.
23. In the case of any dispute between the institute and the firm, the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will appoint an arbitrator within one month of the dispute, whose decision will be binding on both the parties; the legal jurisdiction will be Malpura only.
24. The TDS will be deducted as per Income tax extant rules.
25. The contractor or its worker shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
26. The contractor/ his authorized representative shall report immediately whenever called by HOD/Incharge on receiving telephone message to attend any complaint.
27. The Contractor firm or its partners/Directors should not been declared insolvent any time. Further they are not declared defaulters / black listed by any Bank/ Financial Institute/ State oriented Govt. organization, Autonomous body etc.

Assistant Administrative Officer (S&P)

**Annexure - I**

# भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

**तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501**

## निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)

संस्थान के तकनीकी स्थानान्तरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग के अधीन किसान घर (किसान घर) की सुरक्षा, साफ– सफाई व हाउस कीपिंग से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने की नियम व शर्ते

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें किसान घर की आन्तरिक सुरक्षा, साफ–सफाई एवं हाऊस कीपिंग से संबंधित कार्य निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरो पर संस्थान के किसान हॉस्टल की सुरक्षा, रख–रखाव एवं मैस संचालन से सम्बन्धित समस्त कार्य को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट/जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं प्रभारी, किसान हॉस्टल या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियो/ कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझें व मेरें प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है।

मै यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक————————

हस्ताक्षर अनुबन्धकर्ता/फर्म प्रतिनिधि मयसील

पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं0

**Annexure - II**

# NON BLACKLISTING CERTIFICATE

*[To be submitted on letterhead]*

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item perform the duties as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date:
Place:

Name:
Business Address :
Signature of Bidder:
Seal of the Bidder: